बिहार सरकार
समाहरणालय, बेगूसराय
(जिला बाल संरक्षण इकाई)
विज्ञापन सं0–02/2026

सचिव, समाज कल्याण, बिहार, पटना के दिशा–निर्देश ज्ञापांक–748, दिनांक–24.04.2026 एवं पत्रांक–749, दिनांक –24.04.2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र0	पद	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	सूचीबद्धता हेतु रिक्तियों की संख्या एवं कोटि	उम्र	मानदेय
1	सहायक व्यक्ति (Support Person)	सामाजिक कार्य (MSW) / समाज शास्त्र / मनोविज्ञान / बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर या बाल अधिकार /परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ–साथ तीन वर्ष का अनुभव।	बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य/सामाजिक कार्य/बाल मनोविज्ञान परामर्शदाता/ समाजशास्त्र /मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम–से–कम तीन वर्ष का वांछनीय कार्य अनुभव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार /बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/ जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/ पॉक्सो न्यायालय अथवा चाइल्ड लाईन /चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।	कुल–30 कोटि – पुरूष – महिला सामान्य – 6 – 4 SC/ST – 5 – 3 BC/EBC – 4 – 2 अल्पसंख्यक – 4 – 2	न्यूनतम 30 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष	9000 रूपये (तीन किस्त में) प्रति पॉक्सो वाद

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए एवं बेगूसराय जिले का निवासी होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी का पूर्ववर्ती इतिहास स्वच्छ होना चाहिए। इनके विरूद्ध भारत में कहीं भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं रहना चाहिए। वे कभी भी नैतिक दुराचार (**Moral Turpitude**) दोषी नहीं हों। बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्थान से निष्कासित अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित करना होगा।
3. सहायक व्यक्तियों को दो वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) के लिए सूचीबद्ध (**Empanelment**) किया जायेगा।
4. विज्ञापन की विवरणी, दिशा–निर्देश एवं आवेदन हेतु विहित प्रपत्र जिला प्रशासन, बेगूसराय के बेवसाइट **https:// begusarai.nic.in** पर उपलब्ध रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
5. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर केवल कार्यालय के ईमेल **Email Id-dcpubeg@gmail.com** पर भेजें। निर्धारित तिथि एवं अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आवेदक आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, अंक प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, एवं आवासीय प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं फोटोग्राफ लाना अनिवार्य होगा।
7. आयु की गणना 01.06.2026 से की जाएगी। इसके लिए 10वीं कक्षा का मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8. अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता एवं चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
9. साक्षात्कार की तिथि की सूचना एवं सहायक व्यक्तियों की सेवा एवं कर्त्तव्य से संबंधित मार्गदर्शिका जिला बाल संरक्षण इकाई, बेगूसराय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला प्रशासन, बेगूसराय के बेवसाइट **https:// begusarai.nic.in** पर प्रदर्शित रहेगा।
10. उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा–साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों की मनोनयन सूची आदि का प्रकाशन समय–समय उक्त बेवसाइट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा।
11. किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बेगूसराय के पास सुरक्षित रहेगा।
12. उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण–पत्र देने पर उनका मनोनयन कभी भी रद्द किया जा सकता है। साथ ही कार्य करने के दौरान प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर मनोनयन कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
13. सहायक व्यक्ति के सूचीबद्धता हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01/2026 को निरस्त किया जाता है।

12/9/26

जिला पदाधिकारी
बेगूसराय।

विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के सूचीबद्धता (Empanelment)हेतु आवेदन

विज्ञापन संख्या .... अनुक्रमांक ....

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो चिपकाएँ

1. आवेदित पद का नाम –..
2. आवेदक का नाम –..
3. पिता/पति का नाम – ....
4. कोटि –(सामान्य/पि0व0/अ0पि0व0/अनु0जा0/अनु0ज0जा0) ....
5. जाति –..
6. लिंग –(पुरूष/महिला/अन्य) ....
7. जन्म तिथि –(तिथि/माह/वर्ष) ....
8. वर्त्तमान/पत्राचार का पता –..
9. स्थायी पता –..
10. दूरभाष संख्या –..
11. ई0 मेल0 –..
12. **शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)**

शैक्षणिक योग्यता	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/विष्वविद्यालय का नाम	विषय	उर्तीण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी
मैट्रिक							
इंटर							
स्नातक							
स्नातकोतर							
अन्य							

13. **अनुभव की विवरणी (प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)**

क्र0सं0	संस्था का नाम	पद का नाम	कब से	कब तक	वर्त्तमान में कार्यरत है या नहीं	कुल कार्यावधि	अभ्युक्ति

घोषणा – मैं यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरेद्वारा उपरोक्त भेरें गये सभी तथ्य सही एवं सत्य है। मैं उक्त पद के लिये निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखता/रखती हूँ। भविष्य में जाँच/सत्यापन के क्रम में यदि कोई तथ्य/सूचना गलत/मिथ्या पायी जाती है तो इसकी जिम्मेवारी मेरी स्वयं की होगी तथा मेरा मनोनयन रद्द करते हुए उचित कार्रवाई की जा सकती है।

तिथि –.....................................

....

स्थान – .... **आवेदक/आवदिका का हस्ताक्षर**

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

पत्रांक-10/विविध पॉक्सो-26/2025- 779

प्रेषक,

बन्दना प्रेयषी, भा0प्र0से0,
सचिव, समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 24-04-2026

विषय:- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत निर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश बिहार, 2026 के क्रियान्वयन एवं सहायक व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संचालित वाद "We the Women of India vs. Union of India & Ors. Writ Petition(s) (Civil) No(s) 1156/2021 and in Writ Petition No.427 of 2022 titled Bachpan Bachao Andolan vs. Union of India." अंतर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा जारी आदर्श दिशा-निर्देश के आलोक में बिहार राज्य के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

उक्त दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पॉक्सो वाद अंतर्गत पीडितों की सहायता हेतु सहायक व्यक्तियों (Support Person) को उक्त दिशा-निर्देश के अनुसार समयबद्ध रूप से सूचीबद्ध करने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

<u>अनुलग्नक:-यथोक्त।</u>

24/4/2026

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:-10/विविध पॉक्सो-26/2025- 749 **पटना, दिनांक- 24-04-2026**

प्रतिलिपि:- सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/ सभी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बिहार/ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, बिहार/ सभी प्रधान सदस्य, किशोर न्याय परिषद, बिहार/ सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार/ सभी अध्यक्ष एवं सदस्य, बाल कल्याण समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/4/2026

सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश

1. **प्रस्तावनाः-**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०- WP(C)- 1156/2021 "वी द वुमेन ऑफ इंडिया बनाम् भारत संघ एवं अन्य" एवं WP(C)- 427/2022, "बचपन बचाओ आंदोलन बनाम् भारत संघ" में पारित आदेश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से विमर्श कर लैंगिक अपराधों से बालक के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के धारा 39 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए आदर्श दिशा-निर्देश निर्मित करने का निदेश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा सहायक व्यक्तियों के लिए आदर्श दिशा-निर्देश (Model Guidelines) जारी किया गया है।

बिहार सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 39, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण (पॉक्सो) नियमावली, 2020, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा बिहार किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 की धारा 54 (14), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों की देखभाल और सहायता के लिए निर्मित केन्द्र प्रायोजित योजना, 2023 के वर्णित प्रावधानों को संकलित एवं संदर्भित कर NCPCR के मॉडल दिशा-निर्देश के आधार पर लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किया है।

बाल लैंगिक हिंसा/शोषण से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 एक अधिनियम है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक को लैंगिक शोषण, हिंसा और बालक संबंधी अश्लील सामग्री (पोर्नोग्राफी) से संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है। साथ ही रिपोर्टिंग, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जाँच और नामित विशेष न्यायालयों के माध्यम से मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बाल-अनुकूल तंत्र को शामिल करके न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बालकों के हितों की रक्षा करता है।

लैंगिक शोषण या दुर्व्यवहार से पीड़ित बालकों की सहायता करने की जिम्मेदारी पूरे समुदाय को उठाना चाहिए। इसलिए, इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी पुनर्वास प्रक्रिया को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 39 में स्पष्ट रूप से पीड़ित के लिए सहायक व्यक्तियों, विशेषज्ञों आदि की सहायता उपलब्ध कराने का निदेश देता है।

सहायक व्यक्तियों का मुख्य दायित्व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही के दौरान पॉक्सो वाद अंतर्गत पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व एवं उसके समाप्त होने तक उन्हें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, पीड़ित बालक को कानूनी प्रणाली से निपटने में मदद करना, उन्हें अपने अपराधियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से गवाही देने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना, पीड़ित को उचित पुनर्वास, सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित कराने आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा।

पीड़ित बालक को कानूनी/विधिक प्रक्रिया सहित प्रत्येक स्तर पर सुलभ वातावरण उपलब्ध कराने, सहज प्रक्रिया का पालन करने, पॉक्सों अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 6 के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रियागत सहयोग, पीड़ित को सभी प्रकार की प्रावधानित सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा पीड़ित के सर्वोतम हित, मान-सम्मान, भेदभाव रहित तथा सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कराने में सहायक व्यक्ति' (Support person) की प्रथम भूमिका होगी।

2. उद्देश्य :- इस दिशा-निर्देश का मुख्य उद्देश्य लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 की धारा 39 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति (Support person) के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा जारी दिशा-निर्देश का बिहार राज्य के संदर्भ में सहायक व्यक्ति की भूमिका, उनकी सूचीबद्धता, कार्य-भूमिका, सहायक व्यक्ति के मानदेय का भुगतान, सहायक व्यक्ति की सेवा की समाप्ति, सहायक व्यक्ति को कार्य-संपादन में आने वाली समस्या के निवारण आदि के संबंध में सुलभ स्पष्ट एवं प्रभावी व्यवस्था की जानकारी देना है।

3. संक्षिप्त शीर्षक:-

इस दिशा-निर्देश को "सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश, बिहार 2026" कहा जायेगा. जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा, जो निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा।

4. परिभाषाएं :-

क. इस दिशा-निर्देश में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

i. "बालक" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2 (1) (घ) में परिभाषित बालक अभिप्रेत है;

ii. "बालक का सर्वोतम हित" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (9) में परिभाषित बालक का सर्वोत्तम हित अभिप्रेत है;

iii. "केस वर्कर" से ऐसे पात्रता रखने वाले योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ता जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित बालक को केस हेतु सहायतार्थ मनोनयन किया गया अभिप्रेत है;

iv. "सहायक व्यक्ति (Support Person)" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 2 (1) (च) में परिभाषित सहायक व्यक्ति अभिप्रेत है;

v. "विशेषज्ञ/अतिरिक्त सहायक सेवा" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण हेतु दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक और विशेषज्ञ से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 5(1) अभिप्रेत है;

vi. "बाल देखरेख एवं संरक्षण संस्थान" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(21) में परिभाषित बाल देखरेख संस्थान अभिप्रेत है;

vii. "बाल कल्याण समिति" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित बाल कल्याण समिति अभिप्रेत है;

viii. "विशेष न्यायालय" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-28 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

ix. "पीड़ित" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में वर्णित अपराधों से पीड़ित (बालक/बालिका) अभिप्रेत हैं;

x. "किशोर न्याय बोर्ड" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित किशोर न्याय बोर्ड अभिप्रेत है;

xi. "अधिनियम" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है,

xii. "नियमावली" से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली, 2020 अभिप्रेत है;

xiii. "जिला बाल संरक्षण इकाई" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (26) में परिभाषित जिला बाल संरक्षण इकाई अभिप्रेत है,

xiv. राज्य सरकार से बिहार सरकार अभिप्रेत है;

xv. विभाग से समाज कल्याण विभाग अभिप्रेत है;

ख. इस दिशा-निर्देश में प्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं किए गये हैं, उनका वही अर्थ होगा, जो तत्संबंधी अधिनियमों अथवा नियमावली में वर्णित/परिभाषित किये गये हैं।

5. सहायक व्यक्ति की आवश्यकता और सूचीबद्धता (Empanelment):-

I. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 में उपबन्धित लैंगिक अपराध/हमला/दुर्व्यहार से पीड़ित को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली, 2020 के नियम-5 में उपबन्धित प्रावधान के अनुरूप पीड़ित को सहायक व्यक्ति की सहायता अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यदि पीड़ित या उनके कानूनी अभिभावक के द्वारा सहायक व्यक्ति की सेवा लेने से इंकार करते है, उस स्थिति में इस मार्ग-दर्शिका की कंडिका 14 (ix) का अनुपालन किया जायेगा।

ii. सहायक व्यक्तियों को मामला सौंपने का निर्णय लेते समय यथासंभव पीड़ित बालक के लिंग, समुदाय, वर्ग इत्यादि का ख्याल रखा जाएगा, जिससे कि सहायक व्यक्ति के साथ बालक और उसका परिवार सहज महसूस करे। उदाहरण के लिए, यदि पीडित बालिका है तो महिला सहायक व्यक्ति को उसका मामला सौंपा जाना श्रेयष्कर होगा। उसी प्रकार यदि पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, तो यह संभव है कि पीड़ित के परिजन अपने समुदाय/वर्ग के सहायक व्यक्ति को उसका मामला सौंपे जानें का अनुरोध करें।

6. सहायक व्यक्ति की सूचीबद्धता (Empanelment) के लिए रिक्ति:-

i. सहायक व्यक्ति की सूचीबद्धता के लिए रिक्तियों का आकलन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले मामलों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए संबंधित जिले में विगत तीन माह में प्राप्त होने वाले मामलों के संख्या का औसत x 12 से अगले 01 वर्ष के संभावित मामलों की गणना की जायेगी। इस गणना के 10 प्रतिशत की संख्या का आकलन किया जायेगा। यदि यह आकलन 5 के गुणक में नहीं है तो अगला 5 के गुणक की संख्या को रिक्ति माना जायेगा।

उदाहरणस्वरूप, यदि किसी जिले में विगत तीन माह में प्राप्त होने वाले मामलों का औसत 26 है, तो अगले 01 वर्ष के संभावित मामलों की 26X12 = 312 होगा। इसका 10 प्रतिशत 31.2 होगा, जिसका निकटतम अगला 5 का गुणक 35 होगा। इसलिए इस जिले में सहायक व्यक्ति की सूचीबद्धता के लिए रिक्ति 35 होगी अर्थात 5 के गुणक में सूचीबद्धता हेतु रिक्ति मानी जायेगी।

ii. पॉक्सो वाद अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों के सामाजिक वर्ग की समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आती है कि कुछ खास सामाजिक वर्ग के अंतर्गत पीड़ितों की संख्या अधिक है। फलस्वरूप पीड़ितों की सहजता हेतु सहायक व्यक्तियों की सूचीवद्धता में 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 20 प्रतिशत पिछडा/अतिपिछडा एवं 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, इसके अंतर्गत ही इन सभी वर्गों/कैटेगरी में 40 प्रतिशत महिलाओं को सूचीबद्ध किया जायेगा। सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई रिक्तियों की गणना कर जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

iii. इसके अलावा प्रत्येक वर्ग/कैटेगरी हेतु निर्धारित कुल रिक्तियों का 20 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची के रूप में होगी। मामलों की संख्या अधिक होने अथवा सहायक व्यक्तियों के पैनल में से किसी सहायक व्यक्ति के कार्य से अलग होने की स्थिति में एवं अति अपरिहार्य स्थिति में ही प्रतीक्षा सूची से किसी सहायक व्यक्ति की सेवा ली जा सकेगी।

7. सहायक व्यक्ति के लिए पात्रता:-

i. भारत का नागरिक होना चाहिए।

ii. संबंधित जिले का निवासी होना चाहिए।

iii. अभ्यर्थी का पूर्ववर्ती इतिहास स्वच्छ होना चाहिए। इनके विरूद्ध भारत में कही भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं रहना चाहिए। वे कभी भी नैतिक दुराचार (Moral Turpitude) दोषी नहीं हों। इस आशय का उन्हें शपथ-पत्र समर्पित करना होगा।

iv. बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्थान से निष्कासित अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।

(क) शैक्षणिक योग्यता:-

सामाजिक कार्य(MSW)/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर

या,

बाल अधिकार/परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ-साथ तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) कार्यानुभव:-

बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य/सामाजिक-कार्य/बाल मनोविज्ञान परामर्शदाता/समाजशास्त्र/ मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार/ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/ जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति/ किशोर न्याय बोर्ड/ पॉक्सो न्यायालय अथवा चाईल्ड लाईन/चाईल्ड हेल्पलाईन सेवाओं में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) आयु:-

सहायक व्यक्तियों के लिए आयु सीमा वही होगी जो राज्य में बाल कल्याण समिति के सदस्य के चयन हेतु निर्धारित है।

8. विज्ञापन एवं शॉर्ट-लिस्टिंग:-जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सहायक व्यक्तियों के पैनल के निर्माण के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित करने के लिए जिला की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ प्रमुख समाचार पत्र में जिला स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

तत्पश्चात जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों की जाँच एवं उम्मीदवारों की शॉर्ट-लिस्टिंग की जायेगी। मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र उम्मीदवारों को इस दिशा निर्देश के अंतर्गत गठित चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। आवेदनों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में रिक्ति से कोटिवार दस गुणा आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

9. चयन समिति :- व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करने के उद्देश्य से चयन समिति की संरचना निम्न प्रकार से होगी:-

i. अध्यक्ष- वरीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- (विशेष न्यायालय पॉक्सो)।
ii. सदस्य- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार।
iii. सदस्य-जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिला दंडाधिकारी से अन्यून हो।
iv. सदस्य- किसी सरकारी महाविद्यालय के मनोविज्ञानिक/समाजशास्त्र संकाय के विभागाध्यक्ष अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित विषय-विशेषज्ञ।
v. सदस्य-सचिव-सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई।

10. साक्षात्कार:- वांछनीय अर्हता पूरी करने वाले उम्मीदवारों को चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर मूल्यांकन करेगी और सहायक व्यक्तियों

के लिए नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी। इसके साथ ही चयन समिति प्रतीक्षा सूची की भी सिफारिश करेगी।

11. मूल्यांकन:-

i. शैक्षणिक योग्यता: -

क्र०	शैक्षणिक योग्यता	अंक
1	स्नातक	50
2	स्नाकोत्तर	20
3	P.hd.	10
	कुल	80

ii. साक्षात्कार- अधिकतम- 20 अंक

12. सहायक व्यक्तिओं के पैनल का निर्माण :-

क. चयन समिति द्वारा सहायक व्यक्तियों के पैनल निर्माण एवं प्रतीक्षा सूची के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध करायी जाएगी तत्पश्चात् सदस्य सचिव द्वारा सूचीबद्ध करते हुए सूची का प्रकाशन यथाशीघ्र जिले के अधिकारिक वेबसाईट एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर किया जायेगा।

ख. **पैनल एवं प्रतीक्षा सूची की वैध-अवधि:-**सहायक व्यक्तियों को 02 वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जिनके कार्यों का समीक्षा वार्षिक आधार पर चयन समिति के द्वारा करते हुए सूचीबद्ध सहायक व्यक्तिओं के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। पूर्व से सूचीवद्ध सहायक व्यक्ति के 02 वर्ष की अवधी पूर्ण होने के 06 माह पूर्व ही नये पैनल एवं प्रतीक्षा सूची के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंम्भ कर दी जायेगी, जिससे पूर्व से सूचीवद्ध सहायक व्यक्ति का 02 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व तैयार कर लिया जायेगा। नये पैनल एवं प्रतीक्षा सूची हेतु पूर्व से सूचीबद्ध एवं कार्यरत सहायक व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं।

ग. **सहायक व्यक्तियों का पृष्ठभूमि सत्यापनः-** सहायक व्यक्ति की सूचीबद्वता का प्रकाशन जिले के अधिकारिक वेबसाईट एवं कार्यालय पट्ट पर सदस्य सचिव द्वारा

करने के पश्चात् सूचीबद्ध सहायक व्यक्तिओं के अपराधिक चरित्र का सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

13. सहायक व्यक्तियों का सूची:-

i. सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों की सूची जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) कों उपलब्ध करायी जायेंगी।

ii. बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्तियों को आवंटित किये गये मामले की सूची संपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक निश्चित रूप से जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध करायेगी।

iii. बाल कल्याण समिति एनसीपीसीआर के "POCSO Tracking Portal" को अद्यतन करेगी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई इस पोर्टल के अद्यतन करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। इस कार्य के लिए अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति एवं सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति होंगे।

iv. समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति के इन कर्तव्यों का नियमित अंतराल पर अनुश्रवण किया जाएगा।

14. सहायक व्यक्ति को मामला सौंपने की प्रक्रिया :-

कोई भी व्यक्ति, जिसे संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा सहायक व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध और चयनित किया गया है, इसकी सूची बाल कल्याण समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। बाल कल्याण समिति द्वारा इस सूची में सूचीबद्ध किसी सहायक व्यक्ति को मामला सौंपा जाएंगा। ऐसा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा-

i. लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण नियम, 2020 के नियम 4 के उप-नियम (7) के अनुसार, पीड़ित बालक को सहायता प्रदान करने के लिए सहायक व्यक्ति को संलग्न प्रपत्र "ग" के अनुसार मामला विशेष के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा नामित किया जायेगा।

ii. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत किसी लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने अथवा अधिनियम के तहत् देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के 07 कार्यदिवसों की अवधि में निर्धारित प्रारूप में बाल कल्याण समिति द्वारा सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति को पीड़ित के साथ सबंद्ध किये जाने का आदेश जारी किया जायेगा।

iii. बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित बालक को अनिवार्य रूप से सहायक व्यक्ति की सेवा उपलब्ध करायी जायेगी परन्तु पीड़ित बालक से संबंद्ध किये जाने से पूर्व इस संबंध में

पीड़ित एवं उसके माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति, जिस पर पीड़ित विश्वास करता है, को सूचित किया जायेगा तथा उनकी सहमति प्राप्त की जायेगी।

iv. बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित के साथ न्यायिक प्रक्रिया के क्रम में भी यदि पीड़ित संबद्ध सहायक व्यक्ति के साथ असहज महसूस करता हो तो पीड़ित के अनुरोध पर उसे हटाते हुए किसी अन्य सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति के साथ उसे संबद्ध किया जा सकता है। उसके साथ-साथ अगर पीड़ित किसी भी सहायक व्यक्ति की सेवा बिना किसी बाहरी या अनुचित प्रभाव में प्राप्त करना नहीं चाहता हो तो बाल कल्याण समिति को आवेदन कर सकता है। बाल कल्याण समिति अपने स्तर पर यह सम्पुष्ट होने के उपरांत की पीड़ित ने बिना किसी अनुचित या बाहरी दबाव के सेवा प्राप्त करने से मना किया है तो पीड़ित का आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। सहायक व्यक्ति को संबंद्ध किये जाने के आदेश की प्रति 24 घंटे के अंदर जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), विशेष न्यायालय (पॉक्सो) न्यायालय, संबंधित पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं बाल देखरेख संस्थान को प्रेषित की जायेगी।

v. बाल कल्याण समिति द्वारा संबंद्ध किये गये सहायक व्यक्ति को संबंधित मामले के संबंध में तत्समय तक की संपूर्ण कार्यवाही की जानकारी प्रदान की जायेगी।

vi. बाल कल्याण समिति सहायक व्यक्तियों को मामले सौंपते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी:-

क. बालक की शिक्षा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, भाषा, दिव्यांगता, परिवारिक स्थिति, परिवार की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठ-भूमि, जोखिम, कानूनी सहायता और जागरूकता के साथ-साथ निवास से न्यायालय, निवास से अस्पताल आदि की दूरी।

ख. आवश्यकतानुसार बाल कल्याण समिति के अनुरोध पर जिला पदाधिकारी के आदेश से सहायक व्यक्ति को अधिकतम 15 वादों से सम्बद्ध किया जा सकता है, बशर्ते कि उससे न्याय प्रभावित नहीं हो।

vii. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), द्वारा आपातकालीन नियुक्ति-यदि प्राथमिकी दर्ज होने के सात दिनों के भीतर सहायक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) को एक योग्य/अर्हताधारी सहायक व्यक्ति नियुक्त करने की शक्ति प्रदत्त रहेगी।

viii. सहायक व्यक्ति द्वारा अपना कार्य प्रारंभ करने के पहलेयह घोषणा करनी होगी कि उनका संबंधित पीड़ित या अन्य किसी हितधारक से किसी प्रकार का विवाद/संघर्ष नहीं है। यदि कालांतर में घोषणा गलत साबित हुआ तो, उक्त व्यक्ति को सहायक व्यक्ति के कार्य से हटाया जा सकता है, तथा उसके विरूद्ध

वाद भी दायर किया जा सकता है। अगर पीडित या उनके अभिभावक सहायक व्यक्ति की सेवा लेने से इंकार करना चाहते है, इस स्थिति में पीडित या उनके अभिभावक की जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्शी के द्वारा परामर्शन किया जायेगा। इसके पश्चात भी, यदि अभिभावक/पीडित सहायक व्यक्ति की सेवा लेने से इंकार करते है, इस स्थिति में इस अस्वीकृति हेतु, इन्हें विहित प्रपत्र में प्रविष्टि के साथ आवेदन समर्पित करना होगा। इस प्रकार की अस्वीकृति के लिए मौखिक अनुरोध अनुमान्य नहीं होगा।

सहायक व्यक्ति की सेवा अस्वीकृति के उपरांत बाल कल्याण समिति द्वारा 24 घंटे के अंदर परामर्शी (Counsellor) के No-Coercion Certificate के साथ संलग्न कर इसकी प्रति विशेष न्यायालय (पॉक्सो), विशेष लोक अभियोजक (SPP) एवं पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया जायेगा।

विशेष न्यायालय इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के उपरांत पीडित के माता/पिता अथवा अभिभावक को समन जारी कर स्वयं संतुष्ट हो लेगें कि सहायक व्यक्ति की सहायता लेने से अस्वीकृति स्वैच्छिक है, या किसी बाहरी दबाव के कारण सहायक व्यक्ति से सेवा लेने से इंकार किया जा रहा है।

15. सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें एवं उसके कर्तव्य :-

सहायक व्यक्ति द्वारा मामला सौंपे जाने से विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मामले का निस्तारण संबंधी दस्तावेज प्राप्त हाने के उपरांत तक पीड़ित बालक को सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु समन्वय की जायेगी। सहायक व्यक्ति लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली, 2020 अंर्तगत नियम 4(9),(12), (13), (14) और (15) में उल्लेखित भूमिका और दायित्वों का निर्वहण करेगा। उनके निम्नलिखित विशेष कर्तव्य हैं-

i. पीड़ित एवं उसके अभिभावक (पीड़ित जिस पर विश्वास करता है, सहित) को-

क. सहायक व्यक्ति की उपलब्धता एवं सेवाओं से अवगत कराना।

ख. उपलब्ध आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता से अवगत कराना।

ग. बयान, जॉच और परीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना।

घ. अधिनियम एवं अन्य विधियों के अधीन उपलब्ध हकदारियों, सेवाओं एवं केस में विभिन्न स्तर पर होने वाली कार्यवाही, उसकी प्रगति एवं अद्यतन स्थिति से अवगत कराना।

ङ. बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना, एस.टी./एस.सी. अधिनियम एवं अन्य माध्यमों से प्रतिकर/राहत उपलब्ध कराने हेतु आवेदन कराना।

ii. पीड़ित बालक को विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड परिसर एवं कार्य प्रणाली से परिचित कराना तथा न्यायिक कार्यवाही/ विचारण विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस थाना, बाल कल्याण समिति एवं अन्य प्राधिकरणों में अनुसंधान/कार्यवाही/ जाँच/ विचारण/चिकित्सा परीक्षण के दौरान बालक के साथ मौजूद रहना। मामले से संबंधित प्राधिकारियों/ एजेंसियों के संपर्क में रहना तथा उपस्थिति के संबंध में संभावित निर्धारित दिवसों की जानकारी से बालक एवं उसके अभिभावक को अवगत कराना।

iii. पीड़ित के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से आवश्यकतानुसार परामर्शदाता, दुभाषियो, विशेष शिक्षक की सेवाओं की उपलब्धता हेतु समन्वय सुनिश्चित करना।

iv. पीड़ित को आवश्यकतानुसार उसकी स्वास्थ्य, शिक्षा, भावनात्मक, कौशल प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, वितीय तथा अन्य अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने में संबंधित पदाधिकारियों/कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना

v. पीड़ित के लिये निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार से समन्वय स्थापित करना।

vi. यदि पीड़ित किन्हीं कारणों से विशेष न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है या असहजता महसूस करता है, तो ऑडियों-विज्यूअल/विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बयान/ साक्ष्य दर्ज कराने हेतु विशेष न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समन्वय स्थापित करना।

vii. संदिग्ध या अपराधी से खतरा होने की स्थिति में पीड़ित की सुरक्षा की व्यवस्था के लिये पुलिस थाने से समन्वय स्थापित करना। पीड़ित एवं उसके परिवार को गवाह संरक्षण योजना के तहत पर्याप्त सुरक्षा दिलवाने में सहयोग प्रदान करना।

viii. मामले में विचारण के पश्चात् विशेष न्यायालय/ किशोर न्याय बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय की व्याख्या एवं उपलब्ध विधिक विकल्पों से पीड़ित या उसके अभिभावक को अवगत कराना।

ix. किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा पीड़ित से अभद्रता से बातचीत करने अथवा पीड़ित साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार होने की सूचना विशेष न्यायालय, बाल कल्याण समिति एवं पुलिस थाने को उपलब्ध कराना।

x. पीड़ित की जरूरत एवं केस की परिस्थिति के अनुरूप पीड़ित के हित में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति, पुलिस, विशेष

न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड एवं विशेष लोक अभियोजक अथवा पीड़ित के अधिवक्ता के साथ समन्वय स्थापित कर आपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

xi. यदि घटना विद्यालय में घटी हो तो बच्चे के सर्वोत्तम हित में आवश्यक होने पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बाल कल्याण समिति से आदेश प्राप्त कर विद्यालय बदलवाना और पीड़ित का विद्यालय में अंतिम उपस्थिति रिकॉर्ड प्राप्त करना।

xii. किसी भी प्रकार के खतरे, दबाव या उत्पीड़न की स्थिति का आकलन करना और आवश्यकतानुसार पीड़ित/गवाह संरक्षण सुनिश्चित करवाना।

xiii. यह आकलन करना कि क्या बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है और यदि बच्चे को बाल देखभाल संस्थानों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए तो बाल कल्याण समिति से लिखित अनुरोध करना।

xiv. पीड़ित बच्चे के घर अथवा तत्कालिक निवास स्थान पर नियमित रूप से भ्रमण कर बात-चीत करना।

xv. बच्चे की विकलांगता की स्थिति में उसके किसी भी विशिष्ट आवश्यकता की पहचान कर उसके निदान हेतु संबंधित विभागों से समन्वय करना।

xvi. यदि गवाह मुकर जाता है तो मासिक रिपोर्ट में बाल कल्याण समिति एवं संबंधित न्यायालय को सूचित करना होगा, जिसे बाद में अभियोजन पक्ष और संबंधित अदालत के साथ साझा किया जाएगा। ऐसे मामलों की सूचना न देने पर संबंधित सहायक व्यक्ति के खिलाफ जांच की जाएगी।

xvii. बयान दर्ज करने, चिकित्सा परीक्षण और मुकदमे के दौरान बच्चे के साथ रहना। पीड़ित बच्चे को अदालत तक ले जाना।

xviii. जिस दिन से सहायक व्यक्ति को मामला सौंपा जाता है, उस दिन से यह उसका कर्तव्य है कि वह बच्चे को चिकित्सा सहायता और उपचार, सदमे से उबरने के लिए परामर्श प्रदान करे, और पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से उपलब्ध कानूनी सहायता और चिकित्सा एवं अन्य खर्चों के लिए अंतरिम मुआवजे के प्रावधान के बारे में सूचित करे।

xix. माता-पिता/परिवार के सहयोग से वंचित बच्चे के लिए, सहायक व्यक्ति सुरक्षा, पुनर्वास, पुनर्एकीकरण, उपचार और न्याय तक पहुंच और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए वह बाल कल्याण समिति और संबंधित कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर पीडित बालक एवं उसके परिजन को अवगत करायेगा।

xx. बच्चे और परिवार को आपराधिक अभियोग में शामिल प्रक्रियात्मक चरणों के बारे में तुरंत जानकारी प्रदान करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:-

क. सार्वजनिक और निजी आपातकालीन एवं संकट कालीन सेवाओं की उपलब्धता

ख. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पैनल अधिवक्ता नामित कराना।

ग. आपराधिक अभियोजन में शामिल प्रक्रियात्मक चरण

घ. पीड़ित क्षतिपूर्ति लाभों की उपलब्धता

ङ. अपराध की जांच की स्थिति के बारे में, पीड़ित को सूचित करना जितना उचित हो और इस हद तक कि इससे जांच में कोई बाधा न आए, जानकारी दी जाएगी।

च. संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी

छ. किसी संदिग्ध अपराधी के खिलाफ आरोप दायर करना

ज. अदालती कार्यवाही का वह कार्यक्रम जिसमें बच्चे को या तो उपस्थित होना अनिवार्य है या उपस्थित होने का उसे अधिकार है

झ. किसी अपराधी या संदिग्ध अपराधी की जमानत, रिहाई या हिरासत की स्थिति

ञ. मुकदमे के बाद फैसला एवं अपराधी को दी गई सजा से अवगत कराना।

ट. बच्चे की सेहत के बारे में जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य शामिल है,समय-समय पर बाल कल्याण समिति को सूचित करना।

ठ. गंभीर मामलों में यदि आवश्यक हो तो सहायक व्यक्ति बच्चे और परिवार को वैकल्पिक आवास खोजने में सहायता करेगा।

xxi. निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह रहित रहना तथा लैंगिक हिंसा/दुर्व्यवहार से पीड़ित बालक के साथ बाल मित्रवत व्यवहार/संवाद स्थापित करना ।

xxii. पीड़ित की निजता एवं मामले की गोपनीयता को प्रत्येक स्तर पर संरक्षित रखना तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 132 (1) (2) के साथ पठित धारा 132 (3) के अधीन गोपनीयता के नियमों से बाध्य रहना।

xxiii. यदि पीड़ित बालिका गर्भवती है, तो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे अस्पतालों से जोड़ना। यदि पीड़ित बालक लैंगिक संचारित संक्रमणों से संक्रमित है या एच०आई०वी० पॉजिटिव हो गया है, तो उसे आवश्यक विशेषज्ञता वाली सेवाओं और संगठनों से जोड़ना।

xxiv. बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार मामले में बालक के कल्याण एवं सकुशलता के लिये अन्य प्रासंगिक कार्य संपादित करना।

xxv. बालक एवं उसके मामले से संबंधित कोई भी दस्तावेज बालक एवं उसके अभिभावक की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति/ प्राधिकरण के साथ साझा नहीं करना। साथ ही किसी संदिग्ध आरोपी/ अभियुक्त पक्ष के साथ किसी प्रकार का कोई संवाद/तालमेल नहीं रखना।

xxvi. जब तक मामले के लिए आवश्यक न हो, बालक/परिवार से व्यक्तिगत जानकारी नहीं लेना। किसी अन्य हितधारक से धन, उपहार, पारिश्रमिक आदि स्वीकार नहीं करना या मांग नहीं करना।

xxvii. एनसीपीसीआर के "पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल" पर उसे सौंपे गए प्रत्येक मामले की अद्यतन जानकारी अपलोड करना।

xxviii. सहायक व्यक्ति की अतिरिक्त भूमिका-

क. बालक और परिवार को परामर्श प्रदान करना।

ख. बालक के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

ग. नये वातावरण में परिवार और बालक को स्थानांतरित करने और बसाने में मदद करना।

घ. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की व्यवस्था करना।

xxix. समाज कल्याण निदेशालय/समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायक व्यक्तियों के लिए निर्गत निदेशों का अनुपालन करना।

16. सहायक व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया :-

i. बाल कल्याण समिति द्वारा निम्न परिस्थितियों में सहायक व्यक्ति को हटाया जा सकेगाः

- सहायक व्यक्ति के द्वारा दिशा-निदेर्श में वर्णित अर्हताओं को छिपाने/किसी बाल अपराध में लिप्त होने की सूचना मिलने पर या लिप्त पाये जाने की स्थिति में।
- सहायक व्यक्ति द्वारा किसी बालक के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा करने की स्थिति में।
- सहायक व्यक्ति द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन करने में असफल रहने की स्थिति में, अथवा,

- उसके द्वारा बालक के मामले में प्रतिकूल प्रभाव डालने तथा प्रतिकूल हस्तक्षेप करने की स्थिति में।

ii. किसी सहायक व्यक्ति के विरूद्ध उपरोक्त तथ्य पाये जाने की स्थिति में बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ जिला पदाधिकारी को निर्णय हेतु उपस्थापित करेंगे। सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिला पदाधिकारी के निर्णय से बाल कल्याण समिति को अविलम्ब अवगत कराया जायेगा।

iii. इसके पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा मामले में सहायक व्यक्ति के हटाने की सूचना संबंधित पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, संबंधित विशेष न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी।

iv. बाल कल्याण समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा सहायक व्यक्ति के हटाने संबंधी आदेश की सूचना 24 घंटे के अंदर संबधित विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दी गयी है।

v. सहायक व्यक्तियों को हटाये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय के संबंध में 15 दिनों के भीतर निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को अपील की जा सकती है किंतु अपील के निस्तारण तक ऐसे सहायक व्यक्ति अपने कार्य से विरत रहेंगे।

17. सहायक व्यक्ति के कार्यों की रिपोर्टिंग एवं पर्यवेक्षण :-

i. सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायक सेवाओं के संबंध में निर्धारित प्रारूप में मासिक स्तर पर किये गये कार्यों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित बाल कल्याण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के बाल संरक्षण पदाधिकारी (CPO-NIC) को उपलब्ध कराई जायेगी, तत्पश्चात् जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी (CPO-NIC) द्वारा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. सहायक व्यक्तियों द्वारा मासिक स्तर पर उपलब्ध करायी गयी प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई के बाल संरक्षण पदाधिकारी (CPO-NIC) द्वारा पीड़ित के पुनर्वासन एवं सामाजिक एकीकरण हेतु Sponsorship/ Foster care/ After care से आच्छादित करने के उददेश्य से (After care की स्थिति में पीड़ित की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्) नियमानुसार योजना अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

iii. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित एवं उसके अभिभावक को मासिक अंतराल पर सहायक व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के संबंध में उनकी राय प्राप्त की जायेगी।

iv. सहायक व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन समय-समय पर बाल कल्याण समिति द्वारा किया जायेगा परंतु मानदेय का भुगतान निम्न 03 चरणों में किया जायेगा।

क. विधिवत केस प्राप्त करने, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने, विशेष न्यायालय /किशोर न्याय बोर्ड में बालक के बयान लेखबद्ध होने, बालक का आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच और परीक्षण, प्रपत्र- "ख" में प्रतिवेदन प्राप्त होने।

ख. चार्जशीट फाइल होने तथा वाद की सुनवाई (Trial) प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक।

ग. विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रकरण निस्तारण संबंधी दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत।

18. पोक्सो ट्रैकिंग पोर्टल:-

बाल लैंगिक शोषण के पीड़ितों के समुचित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए सहायक व्यक्ति को NCPCR के पोक्सो ट्रैकिंग पोर्टल पर पीड़ितों की वास्तविक जानकारी ससमय अद्यतन रखनी होगी, जिससे प्रत्येक हितधारक की समग्र जवाबदेही सुनिश्चित होगी और पीड़ितों को उनके व्यक्तिगत मामलों के अनुसार देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

19. सहायक व्यक्तियों का परिचयात्मक प्रशिक्षण :-

समाज कल्याण निदेशालय द्वारा नव सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों को निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षित किया जायेगा-

i. सहायक व्यक्ति का अनिवार्य रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण,

ii. POCSO अधिनियम, नियमों के प्रावधान,

iii. POCSO मामलों में सहायक व्यक्ति के रूप में विशिष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियों,

iv. मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा की समझ, और क्या करें और क्या न करें के साथ बुनियादी परामर्श,

v. पीड़ित और परिवार के अधिकारों और हकों को समझना,

vi. सहायक व्यक्ति के अधिकार,

vii. पीड़ित परिवार की पहचान उजागर किए बिना POCSO मामलों में सोशल मीडिया और मीडिया स्पॉटलाइट सहित मीडिया कर्मियों से कैसे निपटना है,

viii. बाल पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों में किए जाने वाले उपायों को समझना,

क. पीड़ित/परिवार को धमकी, जबरदस्ती या बल का सामना करने की स्थिति से निपटना,

ख. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित), बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 (समय-समय पर संशोधित), एम०टी०पी० एक्ट, 2021 एवं POCSO अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले की न्यायिक प्रक्रिया, इत्यादि।

ग. पीड़ित प्रतिकर योजना, POCSO अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत प्रावधानित मुआवजा तथा ऐसे पीडित बालकों एवं उनके परिवारजनों के लिए संभावित विभिन्न योजनाओं/लाभों के संबंध में अवगत कराना।

20. सहायक व्यक्तियों की चुनौतियों का समाधान:-

सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई सहायक व्यक्तियों के कार्यों में उत्पन्न होने वाले प्रशासनिक अथवा विधि व्यवस्था इत्यादि संबंधी चुनौतियों का विभिन्न कार्यालयों एवं संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय कर समाधान करायेंगे। सभी सहायक व्यक्ति सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।

21. सहायक व्यक्ति का नोडल कार्यालय:-सहायक व्यक्ति के लिए नोडल कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई होगा।

22. सहायक व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिकी एवं वित्तीय प्रावधान:-

सहायक व्यक्तियों (Support person) को आवंटित या संबंद्ध प्रति वाद (Case) हेतु बाल कल्याण समिति द्वारा प्रति वाद की दर से पारिश्रमिक (Remuneration) का भुगतान किये जाने वाली राशि का किस्तवार विवरणी:-

सहायक व्यक्तियों (Support person) को पारिश्रमिक (Remuneration) का भुगतान किये जाने के चरण (Stages):-

क्र०सं०	कुल राशि	सहायक व्यक्तियों (Support person) को बाल कल्याण समिति द्वारा आवंटित प्रति मामला की दर से पारिश्रमिकी का भुगतान किये जाने वाली राशि का किस्तवार विवरणी	सहायक व्यक्तियों (Support person) को पारिश्रमिकी का भुगतान किये जाने की शर्तें
1	सहायक व्यक्तियों (Support person) को अधिकतम प्रति मामला 9000/-	3000/- (तीन हजार) रूपये मात्र का भुगतान किया जायेगा।	प्रथम किस्त मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका (17iv. क) की प्रक्रिया पूर्ण होने पर बाल कल्याण समिति से सत्यापित प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई में प्राप्त होने के उपरांत।
2		3000/- (तीन हजार) रूपये मात्र का भुगतान किया जायेगा।	द्वितीय किस्त मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका (17iv. ख) की प्रक्रिया पूर्ण होने पर बाल कल्याण समिति से सत्यापित प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई में प्राप्त होने के उपरांत।
3		3000/- (तीन हजार) रूपये मात्र का भुगतान किया जायेगा।	तृतीय किस्त मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका (17iv. ग) की प्रक्रिया पूर्ण होने पर बाल कल्याण समिति से सत्यापित प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई में प्राप्त होने के उपरांत।

23. अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा:-

i. दिशा-निर्देश के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को बजट आंवटन की कार्यवाही निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

ii. दिशा-निर्देश के क्रियान्वयन की निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा त्रैमासिक स्तर पर समीक्षा की जायेगी।

iii. जिले में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई, DCWPC (District Child Welfare & Protection Committee) तथा अन्य संबंधित के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश के प्रभावी कियान्वयन हेतु बैठक में समीक्षा की जायेगी।

iv. समाज कल्याण निदेशालय/जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सहायक व्यक्तियों के क्षमतावर्धन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

v. एससीपीसीआर दिशा-निर्देश का राज्य स्तरीय निगरानी प्राधिकरण होगा।

vi. दिशा-निर्देश विवेचन एवं संशोधन की शक्तियां समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार में निहित होगी।

24. क्षेत्राधिकार:-

यह दिशा-निर्देश निर्गत तिथि से सम्पूर्ण राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

24/4/2026

(बन्दना प्रेयषी)

सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:-10/विविध पॉक्सो-26/2025- 748 **पटना, दिनांक-** 24-04-2026

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना/ सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बिहार/ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, बिहार/ सभी प्रधान सदस्य, किशोर न्याय परिषद, बिहार/ सभी अध्यक्ष एवं सदस्य, बाल कल्याण समिति, बिहार/ सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/4/2026

सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:-10/विविध पॉक्सो-26/2025- 748 **पटना, दिनांक-** 24-04-2026

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को उक्त दिशा-निर्देश विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/4/2026

सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

प्रपत्र-"क"

जाँच अधिकारी द्वारा पीड़ित/उसके माता-पिता/संरक्षक को दी जाने वाली सूचना

1. एफआईआर की प्रति प्राप्त करना।
2. पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करना।
3. सदर अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इत्यादि से शीघ्र और नि:शुल्क चिकित्सीय परीक्षण एवं उपचार प्राप्त करना।
4. मानसिक और मनोवैज्ञानिक परामर्शन और सलाह प्राप्त करना।
5. यदि पीड़ित बालिका है, तब महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालिका का बयान उसके वर्तमान निवास स्थान अथवा सुविधाजनक किसी अन्य स्थान दर्ज किया जाना।
6. जब अपराध घर/परिवार में घटित हुआ है अथवा पीड़ित का घर/परिवार में रहना सुरक्षित नहीं हो तब पीड़ित को बाल देखरेख संस्थान में आवासित कराना।
7. विशेष न्यायालय/बाल कल्याण समिति के आदेश पर निर्धारित सहायता और सुविधायें प्राप्त करना।
8. मामले की विभिन्न चरणों में और/अन्यथा आरोपियों से दूर रखा जाना।
9. आवश्यकतानुसार परामर्शदाता/दुभाषिया/विशेष शिक्षक/विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करना।
10. दिव्यांग बालक या अन्य विशिष्ट बालक के लिए विशेष शिक्षक की सेवायें प्राप्त करना।
11. नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना।
12. बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति नामित किया जाना।
13. पीड़ित की शिक्षा जारी रखना।
14. पीड़ित की निजता और गोपनीयता बनाये रखना।

दिनांक :-

(जाँच अधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर)

मैंने प्रारूप- क की एक प्रति प्राप्त की है।

(पीड़ित/ माता-पिता/संरक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर)

प्रपत्र- "ख"

थाना प्रभारी का प्रारंभिक आंकलन प्रतिवेदन

(संबंधित विशेष न्यायालय/बाल कल्याण समिति को समर्पित किया जायेगा)

क्र.स.	आकलन के बिन्दु	विवरण
1	पीड़ित की उम्र	
2	अपराधी से पीड़ित का संबंध	
3	अपराध का प्रकार और उसकी गंभीरता	
4	पीड़ित की चोट की गंभीरता, मानसिक और शारीरिक नुकसान का विवरण	
5	क्या पीड़ित दिव्यांग (शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक) है	
6	पीड़ित के माता-पिता की आर्थिक स्थिति, परिवार के सदस्यों की कुल संख्या, माता-पिता का व्यवसाय और परिवार की मासिक आय के बारे में विवरण	
7	क्या पीड़ित की मृत्यु हो गई है या वर्तमान मामले की घटना के कारण किसी चिकित्सा उपचार से गुजर रहा/रही है या अपराध के कारण चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है?	
8	क्या मानसिक आघात, शारीरिक चोट, चिकित्सा उपचार, जाँच और परीक्षण या अन्य कारणों से विद्यालय से अनुपस्थिति सहित अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसर का नुकसान हुआ है?	
9	क्या दुर्व्यवहार एक अलग-थलग घटना थी या क्या यह दुर्व्यवहार निरंतर होता रहा था?	
10	क्या पीड़ित के माता-पिता का किसी प्रकार का ईलाज चल रहा है या उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है?	
11	अन्य विवरण	

दिनांक :

(थाना प्रभारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि :- विशेष न्यायालय,............./बाल कल्याण समिति, ...।

प्रपत्र - "ग"

बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति की नियुक्ति हेतु प्रारूप

1. एफआईआर संख्या एवं दिनांक:-
2. थाना का नाम :-
3. पॉक्सो मामला संख्या :-
4. न्यायालय का नाम :-
5. बाल कल्याण समिति का मामला संख्या :-
6. जिला का नाम :-

विषयः पॉक्सो अधिनियम, 2012 एवं (पॉक्सो) नियमावली, 2020 के अंतर्गत पीड़ित बालक हेतु सहायक व्यक्ति की नियुक्ति।

लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण (पॉक्सो) नियमावली, 2020, के नियम 4 (8) के अनुपालन में, एफआईआर संख्या............ के अनुसार (*बालक का नाम*)................... पुत्र/पुत्री श्रीमती (*माता का नाम*).............. तथा श्री (*पिता का नाम*).............. के मामलें में श्री/ श्रीमती (*सहायक व्यक्ति का पूरा नाम*)............. को जाँच, परीक्षण एवं समस्त न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बालक तथा परिवार को सहायता प्रदान करने हेतु **"सहायक व्यक्ति"** नियुक्त करती है।

इस मामलें में सहायक व्यक्ति लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण (पॉक्सो) नियमावली, 2020 और राज्य सरकार/समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देश एवं अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

सहायक व्यक्ति का विवरण:

पूरा नाम — पता

मोबाइल नंबर — ई-मेल

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) नियम, 2020 के नियम 4 (10) के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि जाँच अधिकारी द्वारा (बालक का पूरा नाम), पुत्र/पुत्री (माता-पिता का पूरा नाम) के लिए सहायक व्यक्ति के रूप में श्री/श्रीमती (सहायक व्यक्ति का पूरा नाम)................., की नियुक्ति के बारे में माननीय विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड को सूचित किया जाय।

कृपया सहायक व्यक्ति को उनके निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

सधन्यवाद.

अध्यक्ष/सदस्य

(बाल कल्याण समिति की मुहर)

प्रतिलिपिः

1. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, (*जिला*)..............................
2. संबंधित जाँच अधिकारी (आई ओ.) (*नाम*)................., थाना.......................
3. संबंधित सहायक व्यक्ति (पूरा नाम)...

प्रपत्र - "घ" (भाग-1)

सहायक द्वारा बाल कल्याण समिति को मासिक रिपोर्ट

सहायक व्यक्ति का नाम.......................... बाल कल्याण समिति का आदेश सं०..............

क्र.सं.	विवरण		क्र.सं.	विवरण	
1	एफ.आई.आर. संख्या एवं दिनांक		2	थाना	
3	घटना का दिनांक		4	न्यायालय का नाम	
5	पीड़ित का नाम		6	पीड़ित की उम्र	
7	पीड़ित के माँ का नाम		8	पीड़ित के पिता का नाम	
9	पीड़ित के विद्यालय का नाम		10	पीड़ित किस कक्षा में अध्ययनरत है अथवा था?	
11	संक्षिप्त परिवारिक विवरण		12	परिवार की आर्थिक स्थिति	
13	घटना का विवरण		14	घटना का स्थान	
15	आरोपी से संबंध		16	आरोपी की उम्र	
17	बयान का दिनांक		18	चार्ज शीट दाखिल करने का दिनांक	
19	बालक की मनोवैज्ञानिक, स्वस्थ्य, आर्थिक, शैक्षणिक, विधिक, आवास या अन्य आवश्यकतायें				

मामलें के विभिन्न चरणों का विवरण

घटना/विवरण	
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 180 का बयान	
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 183 का बयान	
चिकित्सा परीक्षण	
मुआवजा की अद्यतन स्थिति	
आरोपी की जमानत	
बालक का साक्ष्य	
सजा तथा आदेश	

दिनांक-

सहायता करने वाले व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर

प्रपत्र - "घ" (भाग-2)

सहायक द्वारा बाल कल्याण समिति को मासिक रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण		
1	मामलें की स्थिति:		
2	पीड़ित के वर्तमान निवास का पता तथा स्थान (किसके साथ रह रहा है) :		
3	देखभालकर्ता का नाम एवं पीड़ित से संबंध :		
4	पीड़ित की स्थिति तथा देखभाल		
5	शारीरिक	भावनात्मक	मानसिक
6	परिवारिक स्थिति (परिवार के सदस्यों / देखभालकर्ता का रोज़गार परिवार के अन्य सदस्यों की कुशलता) :		
7	पीड़ित तथा परिवार की सदमा/भय से उबरने संबंधी प्रगति :		
8	पीड़ित को उपलब्ध करायी गयी चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सुविधायें :		
9	पुर्नवास : - पीड़ित की शिक्षा - पुनः एकीकरण - प्रायोजन - मुआवजा - सरकारी योजनाओं से जुड़ाव		
10	सहायक व्यक्ति द्वारा माह में पीड़ित/परिवार के साथ भौतिक एवं दूरभाष पर बातचीत का दिनांक :		
11	सहायक व्यक्ति द्वारा पीड़ित को प्रदान की गयी सेवाओं का संक्षिप्त विवरण :		
12	अन्य जानकारी/विशेष टिप्पणी :		

दिनाक :

सहायक व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र - "घ" (भाग-3)

सहायक व्यक्ति के लिए चेकलिस्ट

क्र.सं.	गतिविधि	स्थिति/दिनांक	अभियुक्ति
1	पीड़ित/ माता-पिता/संरक्षक को प्रारूप क में सूचानायें उपलब्ध कराये जाने की स्थिति।		
2	थाना प्रभारी द्वारा प्रारूप ख में संबंधित विशेष न्यायालय एवं बाल कल्याण समिति को सूचानायें उपलब्ध कराये जाने की स्थिति।		
3	आपातकालीन आवश्यकता का आकलन		
4	आवश्कतानुसार बाल गृह में आवास हेतु पहल		
5	आपातकालीन सेवाओं हेतु लिकेज		
6	पीड़ित एवं/या परिवार का परामर्श		
7	सहायक व्यक्ति की उपलब्धता एवं सेवाओं की से अवगत कराना।		
8	उपलब्ध आपातकालीन सेवाओं की उपलकाता से अवगत कराना।		
9	बयान जाँच और परीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना।		
10	पीड़ित एवं परिवार को विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड परिसर एवं कार्य प्रणाली में परिचित कराना		
11	संबंधित अधिनियम, नियमावली एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं में से अवगत कराना।		
12	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 180 का बयान में सहयोग		
13	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 183 का बयान में सहयोग		
14	चिकित्सा परीक्षण के दौरान बालक के साथ मौजूद रहना।		
15	विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस थाना, बाल कल्याण समिति एवं अन्य प्राधिकरणों में कार्यवाही जाँच विचारण के दौरान बालक के साथ मौजूद रहना।		
16	पीड़ित एवं परिवार को मामले में विभिन्न स्तर पर होने वाली कार्यवाही, उसकी प्रगति एवं अद्यतन स्थिति में अवगत कराना।		
17	पीड़ित मुआवजा योजना, एसटी/ एस सी अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम के धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले मुआवजा एवं अन्य माध्यामों से मुआवजा (जो लागू हो) उपलब्ध कराने हेतु आवेदन कराना।		
18	मामले के न्यायिक कार्यवाही/विचारण से संबंधित प्राधिकार/ एजेंसियो के संपर्क में रहना तथा उपस्थिति के संबध में संभावित निर्धारित दिवसों की जानकारी से पीड़ित एवं उसके अभिभावक को अवगत कराना।		
19	पीड़ित के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से		

	आवश्यकतानुसार परामर्शदाता/दुभाषिया/विशेष शिक्षक/विशेषज्ञ की सेवाओं की उपलब्धता हेतु समन्वय करना।		
20	पीड़ित को आवश्यकतानुसार उसकी स्वास्थ्य, शिक्षा, भावात्मक, कौशल/व्यवसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय तथा अन्य अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधित कार्यालयों से समन्वय स्थापित करना।		
21	पीड़ित के लिये निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।		
22	किन्हीं कारणों से यदि पीड़ित विशेष न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है अथवा असहजता महसूस करता है. तो ऑडियों विज्यूअल/विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बयान/साक्ष्य दर्ज कराने हेतु विशेष न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना।		
23	किसी भी स्थिति में संदिग्ध अपराधी से खतरा होने की स्थिति में सुरक्षा की व्यवस्था के लिये पुलिस थाने से समन्वय करना।		
24	पीड़ित एवं उसके परिवार को गवाह संरक्षण योजना के तहत पर्याप्त सुरक्षा दिलवाने में सहयोग प्रदान करना।		
25	पीड़ित के मामलें एवं उसकी प्रगति से संबंधित वांछित दस्तावेज प्राप्त कर पीड़ित एवं उसके अभिभावक को उपलब्ध कराना।		
26	मामलें के विचारण के पश्चात् विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय एवं उपलब्ध विधिक विकल्पों से बालक या उसके अभिभावक को अवगत कराना।		
27	किसी के द्वारा पीड़ित से अभद्रता से बातचीत करने अथवा बालक के साथ के दुर्व्यवहार होने की सूचना विशेष न्यायालय, बाल कल्याण समिति एवं पुलिस थाने को उपलब्ध कराना।		
28	आवश्यकतानुसार पीड़ित के हित में जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति, पुलिस, विशेष न्यायालय /किशोर न्याय बोर्ड एवं विशेष लोक अभियोजक, अथवा बालक के अधिवक्ता के साथ समन्वय स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करना।		
29	यदि पीड़ित बालिका गर्भवती है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार बालक के लिए उपलब्ध विभिन्न कानूनी विकल्पों के बारे में बालक को परामर्श देना।		
30	पीड़ित बालिका को गर्भवती/प्रसव/प्रसवोपरान्त सरकार द्वारा मिलने वाले विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य एवं वितीय सहायता हेतु संबंधित कार्यालय से समन्वय करना एवं आवेदन कराना।		
31	अन्य सहायता		

दिनाक : **सहायक व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर**

प्रपत्र- "ङ."

For Refusal of Support Person

To: The Special Judge (POCSO), District [Name]

1. Case Details: FIR No: PS:

2. Reason for Refusal: (Tick One)

[ ] Family prefers private Counselling.

[ ] Family is relocating.

3. Declaration by Family: "We have been explained the benefits of a Support Person but knowingly refuse the service without any fear or coercion."

(Signature of Parent/Guardian)

4. CWC/Counsellor Certification: "I have counselled the family. I am satisfied/not satisfied that this decision is free from coercion."

(Signature of CWC Chairperson)